खण्ड – 6 संख्या – 18

एकादश

बिहार विधान-सभा वाद-वृत्त

कार्यवाही प्रश्नोत्तर सहित

भाग - 1

दिन वृहस्पतिवार, तिथि 18 जुलाई, 1996 ई०.

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर :-

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :-

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर संख्या :- 9 एवं 76

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :- 1154, 1160, 1162, 1167, 1171, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 एवं 2181

परिशिष्ट :- (प्रश्नों के लिखित उत्तर)

दैनिक निबंध

टिप्पणी :- कोई भी मा० मंत्रीयों अथवा मा० सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

2. वर्षांत एवं बाढ़ के बाद मौजा वहौरा, सर्वराम, दियारा,काढ़ा मिलिक एवं वलिया का गंगवरार जमीनके बचे हुए अंश उससे संबंधित रैयतों को कागजात के आधार पर मांपी कराकर दखल दिया जायेगा।

श्री मंसूर आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो जमीन वरार हुई है उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुताबिक जो चाहता है उस जमीन पर वो लेता है ओर फसल कोई काट लेता है। तो कागज के आधार पर उस जमीन के मालिक को कब तक वापस करेंगे?

श्री इन्दर सिंह नामधारी : महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है कि कुछ जमीन वांट दिया गयाहै और बाकी तीन-चार गांवों मे वर्षा के बाद वांट दिया जायेगा। अगर कोई गड़बड़ी हो तो माननीय सदस्य बतलायें हम उसकी जांच करावेंगे।

प्रतियूनिट कम चीनी की आपूर्ति

1177. श्री सतीश कुमार : क्या मंत्री, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

1. क्या यह बात सही है कि बिहारशरीफ शहरी इलाके में उपभोक्ताओं को 250 ग्राम चीनी आवंटित किया जाता था, फिलहाल केवल 125 ग्राम बति यूनिट चीनी आवंटित किया जाता है?

2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बिहारशरीफ के शहरी उपभोक्ताओं के 250 ग्राम प्रति यूनिट के स्थान पर 125 ग्राम प्रति यूनिट चीनी देने का क्या औचित्य है?

श्री रघुनाथ झा : महोदय, खंड (1) उत्तर अस्वीकारात्मक है। लेवी चीनी का मासिक आवंटन खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग द्वारा पटना

अनुभाजन क्षेत्र को छोड़कर सभी जिला को शहरी के लिए वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर लगभग 400 ग्राम प्रति कैपिटा की दर से सभी जिलों को लेवी चीनी का आवंटन दिया जा रहा है। बिहारशरीफ के बारे में वस्तुस्थिति पता किया जा रहा है।

2. खंड (2) उल्लिखित खंड (1) में स्थिति स्पष्ट है।

श्री सतीश कुमार : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा हैकि 400 ग्रामी चीनी दिया जाता है लेकिन वहां पर 400 ग्राम चीनी नहीं दिया जाता है?

श्री रघुनाथ झा : महोदय, अगर ऐसा है तो हम जिला पदाधिकारी से इसकी जांच करा देंगे।

श्री श्रवण कुमार : महोदय, हम जानना चाहते है कि शहरी क्षेत्र में 400 ग्राम दिया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना दिया जाता है?

श्री रघुनाथ झा : उतना ही दिया जाता है।

जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई

2176. श्री देवनाथ यादव : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

1. क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास और घोघराडीह प्रखंडों में वर्ष 1990-95 में विभिन्न मदों से लगाये गये चापाकलो में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में अभियंता प्रमुख लोक स्वा० अभियंत्रण विभाग, पटना ने अपने ज्ञापांक 642 दिनांक 2.9.95 तथा स्मार-पत्र ज्ञापांक 9777 दिनांक 5.12.95 द्वारा अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, अंचल